



2026:AHC:2186

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43272 सन् 2025

सत्यप्रकाश

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अजय यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता, योगेन्द्र यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अजय यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक, सत्यप्रकाश, की ओर से वाद अपराध संख्या 641 वर्ष 2022 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 323, 332, 353, 504, 506, 336, 427, 188, 333 एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के अन्तर्गत, थाना कासगंज, जिला कासगंज, में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है और वह दिनांक 09.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विकी ठाकुर उर्फ शरद चौहान को इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा दिनांक 11.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 42819 वर्ष 2025 में आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के क्रेडिट में कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहाई की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु उपरोक्त तथ्य का खण्डन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वाद अपराध संख्या में सम्मिलित अभियुक्त-आवेदक, **सत्यप्रकाश**, को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचार न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति माफ न की गई हो।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।